21 पोस्ट आफिस, LIC एवं यू.टी.आई. के एजेन्टों के लिए आयकर के प्रावधान

Income Tax Provision for Post Office, LIC & UTI Agents

पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा निगम (LIC), म्युचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (UTI), के एजेन्टों को प्राप्त कमीशन से आय के संदर्भ में मान्य कटौतियॉ (Allowable Deduction -as per CBDT circular 648 dtd. Mar 30, 1993) –

स्थिति 1 :– वित्तीय वर्ष में प्राप्त सकल कमीशन की राशि 60,000 रू. से अधिक ना हो तथा खर्च का हिसाब ना रखा गया हो तो निम्नानुसार कटौती पेशे के लिए आवश्यक विभिन्न खर्चों (जैसे – पेट्रोल खर्च, टेलीफोन बिल आदि) के संदर्भ में मान्य होगी –

क्र.	विवरण	तदर्थ कटौती की राशि
अ	पोस्ट आफिस, म्युचूअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया UTI, के एजेन्ट	प्राप्त कमीशन का 50%
ब	जीवन बीमा निगम (LIC) के एजेन्ट (1) प्रथम वर्ष का कमीशन (2) नवीनीकरण का कमीशन (3) यदि उपरोक्त कमीशन का हिसाब अलग–अलग ना रखा या हो (4) बोनस कमीशन	 प्राप्त कमीशन का 50% तक प्राप्त कमीशन का 15% तक प्राप्त कमीशन का 33.33% तक कोई कटौती नही
	नोट :– LIC एजेन्ट के लिए कुल (1,2,3) कटौती की राशि अधिकतम 20,000 रू.	

स्थिति 2 :– अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार तदर्थ कटौतियॉ मान्य नहीं होगी तथा खर्चों का खाता रखने पर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा, वास्तविक खर्चों की सीमा तक, कटौती देने का निर्णय लिया जा सकता है।

उदाहरण यदि श्री हरिकिशन जो LIC ऐजेन्ट है, को निम्नानुसार आय वर्ष 2016–17में हुई –

(अ) कमीशन से आय
- i. प्रथम वर्ष का कमीशन 3,00,000 रू.
- ii. नवीनीकरण का कमीशन 40,000 रू.
- iii. बोनस कमीशन 5,000 रू.

(ब) अन्य स्त्रोतो से आय (बैंक/NSC आदि से प्राप्त ब्याज) 65,000 रू.

(स) LIC प्रिमीयम 30,000 रू.

इनको वर्ष 2015– 16 में कितना आयकर देय होगा ?

हल:

(i)	कुल आय 3,00,000 + 40,000 + 5,000 + 65,000 = 4,10,000	4,10,000
(ii)	कमीशन पर तदर्थ कटौती प्राप्त नही होगी क्योंकि कमीशन की राशि 60,000 से अधिक है, परन्तु वास्तविक खर्चे की कटौती प्राप्त होगी क्योंकि उसका खाता निर्धारित रूप से रखा गया है – आवागमन व्यय – 20,000, किराया – 60,000, टेलीफोन खर्च – 30,000 कुल मान्य कटौती	1,10,000
(iii)	सकल आय (Gross Taxable Inocme)–	3,00,000
(iv)	धारा 80C के तहत निवेश की गई राशि की मान्य कटौती LIC प्रिमीयम	30,000
(v)	कुल करयोग्य आय (Total Taxable Income) –	2,70,000
(vi)	देय आयकर – प्रथम 2,50,000 पर – शून्य अगले 20,000 पर 10% की दर से – 2000	2000
(vii)	धारा 87ए के तहत आयकर से छूट	2000
(viii)	कुल आयकर (Tax payable)	0